page-3_page 1 4/21/2025 10:31 PM Page 1

आज ही के दिन 1894 में भारतीय संविधान को बनाने में सहयोग देने वाली महिलाओं में से एक अम्मू स्वामीनाथन का जन्म हुआ था।

चारधाम यात्रा में बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित किया जाएः धामी

मुख्यमंत्री ने बैठक कर वर्चुअल माध्यम से सभी जिलाधिकारियों को दिये तैयारियां पूरी करने के निर्देश

भास्कर समाचार सेवा

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को वर्चुअल माध्यम से सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि जन शिकायतों का शीघ्रता से समाधान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए, जिससे शासन-प्रशासन की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही बनी रहे। आगामी चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं की समीक्षा के दौरान उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों, होटल व्यवसायियों तथा अन्य हितधारकों के साथ समन्वय स्थापित कर व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।

मुख्यमंत्री ने सभी विभागीय सचिवों और जिलाधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि उत्तराखंड की चारधाम यात्रा के दौरान विभागों और जिला प्रशासन के स्तर पर सभी व्यवस्थाएं बेहतर बनाई जाए। चारधाम यात्रा आस्था का प्रमुख केन्द्र होने के साथ ही स्थानीय लोगों की आजीविका से भी जुड़ी है। चारधाम यात्रा से जुड़े सभी हितधारकों से निरन्तर समन्वय बनाने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिये हैं। चारधाम यात्रा को स्वच्छ, सुंदर और पर्यावरण के अनुकूल बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाए।

इसके लिए जन सहयोग भी लिया जाए। यात्रा मार्गों पर स्वच्छता, सौंदर्यीकरण और यात्री सुविधाओं को प्राथमिकता दी जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी चारधाम यात्रा को लेकर ट्रैफिक व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाए, जिससे श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को परेशानी न हो। मुख्यमंत्री ने बैठक में वनाग्नि प्रबंधन के लिए वन विभाग के साथ सभी जिलाधिकारियों को पूर्ण तैयारी करने के निर्देश दिये है। वनाग्नि की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में आवश्यक उपकरणों की पर्याप्त व्यवस्था रखी जाए।

वनाग्नि नियंत्रण के लिए त्वरित कार्यवाही के लिए स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों के नम्बर भी अपडेट रखे जाएं, ताकि वनाग्नि की घटना होने पर शीघ्रता से नियंत्रण किया जा सके। वनाग्नि की संभावना वाले क्षेत्रों में टीमें तैनात की जाए और उनकी निरंतर मॉनिटरिंग भी की जाए। मोबाइल

बैठक लेते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी।

गश्त टीमें भी तैनात की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि गर्मियों में लोगों को पेयजल की दिक्कत न हो। पेयजल की समस्याएं आने पर उनका त्वरित समाधान किया जाए। पेयजल टैंकर की भी पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। सभी जिलाधिकारियों को पेयजल की समस्याओं के समाधान के लिए अपने स्तर से बैठक करने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिये हैं। उन्होंने आगामी मानसून सीजन के दृष्टिगत भी सभी सुरक्षात्मक उपाय करने के निर्देश अधिकारियों को दिये हैं। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों से बाढ़ सुरक्षा से संबंधित कार्यों की प्रगति की जानकारी भी ली।

जल भराव की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में सभी उपचारात्मक कार्य किये जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिलाधिकारियों द्वारा जन सुनवाई नियमित की जाए। तहसील दिवस, बीडीसी की बैठकों और बहुद्देशीय शिविरों के माध्यम से लोगों को योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ दिया जाए। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि लोगों को अनावश्यक रूप से दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े। ई-सेवाओं के माध्यम से लोगों को अधिकाधिक लाभान्वित किया जाए।

अनावश्यक रूप से कार्यों में लेटलतीफी करने वाले कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि राज्य में बाहरी लोगों और संदिग्ध गतिविधियों पर सतत निगरानी रखी जाए। यह राज्य की सुरक्षा से जुड़ा विषय है, जिसमें कोई समझौता नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने दोनों मंडल आयुक्तों को निर्देश दिए कि वे स्वयं फील्ड में जाकर इन निर्देशों की प्रगति का भौतिक सत्यापन करें और सभी आगामी समीक्षा बैठक से पूर्व सभी कार्यों की प्रगति रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए। बैठक में प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, आयुक्त कुमाऊं दीपक रावत, आयुक्त गढ़वाल विनय शंकर पाण्डेय और सभी जिलाधिकारी मौजूद रहे।

सर्वसाधारण की सूचना

परिषद की इन्दिरा नगर योजना देहरादून में स्थित मध्यम आय वर्ग भवन संख्या 155 का आवंटन श्री सुभाष चन्द्र साहनी को प्रदेशन पत्रांक 6042 दिनांक 09.09.1975 द्वारा किया गया था। जिसका पूर्ण भुगतान होने के उपरान्त दिनांक 04.09.1990 को लीजडीड व सेलडीड निष्पादित की गई जो कि विधिवत सब रजिस्ट्रार कार्यालय देहरादून में पंजीकृत है। श्री सुभाष चन्द्र साहनी ने उक्त भवन को श्री अवतार सिंह आनन्द पुत्र श्री प्रताप सिंह एवं श्रीमती त्रिपत कौर पत्नी श्री अवतार सिंह के पक्ष में विक्रय कर पट्टा हस्तान्तरण विक्रय विलेख दिनांक 23.03.1996 को सब रजिस्ट्रार कार्यालय देहरादून में पंजीकृत किया गया है। तथा कार्यालय आदेश संख्या-1425 दिनांक 14.09.2000 द्वारा क्रेतागणों के पक्ष में नामान्तरण किया गया। तथा दिनांक 26 मार्च 2003 को फ्री होल्ड डीड निष्पादित की गयी जो दिनांक 07.04.2003 को पंजीकृत है। आवंटी श्री अवतार सिंह आनन्द की मृत्यु दिनांक 18.01.2014 को एवं श्रीमती त्रिपत कौर की मृत्यु दिनांक 03.03.2024 को होने के कारण मृतकों के वारिस श्री मन्दीप कौर, श्रीमती अन्नू कौर, श्रीमती जसवीर कौर भसीन, श्री गुलशन जीत आनन्द द्वारा भवन संख्या 155 को समस्त वारिसो के नाम अन्तरण हेतु उप जिलाधिकारी देहरादून द्वारा दिनांक 20.06.2024 को निर्गत उत्तरजीवी प्रमाण पत्र, श्री अवतार सिंह आनन्द एवं श्रीमती त्रिपत कौर का मृत्यु प्रमाण पत्र, रू0 100 के स्टाम्प पेपर पर क्षतिपूर्ति बन्धकनामा, अन्य कोई वारिस न होने का शपथ पत्र, पहचान पत्र तथा आवेदन पत्र जमा कर दिया है। अतः प्रस्तुत किये गये प्रपत्रों के आधार पर तथा आवंटी श्री अवतार सिंह आनन्द एवं श्रीमती त्रिपत कौर (पति/पत्नी) की मृत्यु होने के कारण उनके वारिसों के पक्ष में नामान्तरण किया जाना है। उक्त सम्पत्ति के अन्तरण में यदि किसी वारिस / अन्य पक्षकार को काई आपत्ति हो तो इस विज्ञप्ति प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अपनी लिखित आपत्ति साक्ष्य सहित उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून में प्रस्तुत करें। निर्धारित तिथि के उपरान्त कोई अन्य क्लेम / दावा मान्य नही होगा तथा नियमानुसार अन्तरण की कार्यवाही कर दी जायेगी।

सहायक सम्पत्ति अधिकारी

सार्वजनिक सूचना

हमारा पूर्व का एक मूल विक्रय पत्र दिनांक 14.04.2025 को आई.एस.बी.टी. चौक के पास कहीं खो गया। जो कि हमारे मकान खसरा नंबर 93 घ (पुराना 372) रकबा 156.13 वर्ग मीटर का है जिसमें विक्रेता- सरोज अग्रवाल पत्नी श्री आर.पी. अग्रवाल तथा क्रेता- चरण सिंह पुत्र स्व. अतर सिंह है जिसका पंजीकरण सब रजिस्ट्रार देहरादून में बही नं. 1 जिल्द 3 पृष्ठ 280 ए. डी.फा. बुक नं. 1 जिल्द 633 पृष्ठ 669 से 624 मे.नं. 1201 पर दिनांक 24. 04.1997 को दर्ज व पंजीकृत है। इसकी खोने की पुलिस रिपोर्ट आई.एस.बी.टी. चौकी में 19.04.2025 GD No. 17 को कर दी गई है। यह मकान अभी सभी प्रकार के ऋण भार बंधन से मुक्त है इस पर SBI की क्लेमेंटाउन शाखा ब्रांच कोड 003056 से लोन के लिया आवेदन किया गया है। अगर किसी को भी इस पर कोई आपत्ति हो तो वह उपरोक्त शाखा में इश्तहार की दिनांक से 7 दिन के अंदर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है।

मुख्यमंत्री घोषणाओं को गंभीरता से ले

देहरादून। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में सोमवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री घोषणाओं के संबंध में बैठक आयोजित हुई। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने घोषणाओं की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विभागों द्वारा सीएम घोषणा से योजनाओं की अद्यतन जानकारी पोर्टल पर शीघ्र अपडेट की जाएं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री घोषणाओं को गंभीरता से लेते हुए प्रस्ताव शीघ्र तैयार किए जाएं।

यूजेवीएन लिमिटेड

मुख्यालय : "उज्जवल" महारानी बाग, जी0एम0एस0 रोड, देहरादून–248006,
दूरभाष: 0135–2763808, फैक्स नं0: 0135–2763508,
सी.आई.एन. सं0 – U40101UR2001SGC025866, वैबसाईट : www.ujvnl.com

प.सं. 279 | **ई–निविदा सूचना** | दि0: 21.04.2025

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता (जानपद–अनुरक्षण) व्यासी परियोजना, यूजेवीएन लिमिटेड, डाकपत्थर, इच्छुक निविदादाताओं से ऑनलाईन निविदा आमंत्रित करता है, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नवत हैः–

निविदा संख्या एवं कार्य का नाम : 02/2025-26/EE(C-M)Vyasi Project, "व्यासी बॉध, जूड्डों, जिला–देहरादून के डाउनस्ट्रीम पियर्स / डिवाइड वॉल की अवशेष सीढ़ियों एवं रैलिंग के फैब्रिकेशन एवं इरेक्शन का कार्य"।

अनुमानित लागत : ₹ 3002734.00 (जी0एस0टी0 अतिरिक्त)

वेबसाइट पर निविदा प्रपत्र की उपलब्धता की तिथि : 21.04.2025, सांय 17:00 बजे से

वेबसाईट पर निविदा जमा करने की अन्तिम तिथि : 13.05.2025, सांय 17:00 बजे तक

अन्य जानकारी हेतु कृपया ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल **https://uktenders.gov.in"** देखें।

"बिजली के दुरूपयोग से बचें"

अधिशासी अभियन्ता (जानपद–अनुरक्षण)
व्यासी परियोजना, डाकपत्थर,

एआई के दौर में भी मानवता को बनाए रखना जरूरीः तिवारी

- पीआरएसआई देहरादून चैप्टर ने किया कार्यक्रम का आयोजन

भास्कर समाचार सेवा

देहरादून। महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी ने कहा कि एआई के दौर में भी मानवता को बनाए रखना जरूरी है। आज के तकनीकी दौर में हम सभी अपनी जिम्मेदारी समझे। राष्ट्रीय जनसंपर्क दिवस के अवसर पर सोमवार को पब्लिक रिलेशन सोसायटी ऑफ इंडिया के देहरादून चैप्टर द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया गया।

कार्यशाला का शुभारंभ मुख्य अतिथि महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी, संयुक्त निदेशक सूचना डॉ. नितिन उपाध्याय, बद्रीकेदार मंदिर समिति के सीईओ विजय थपलियाल, अध्यक्ष पीआरएसआई देहरादून चैप्टर रवि विजारनिया ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। मुख्य अतिथि बंशीधर तिवारी ने कहा कि आज के तकनीकी दौर में हम सभी को अपनी जिम्मेदारी समझे।

कार्यशाला का शुभारंभ करते डीजी सूचना बंशीधर तिवारी व अन्य।

उन्होंने कहा कि एआई तकनीक का वर्तमान समय में जिस प्रकार से तेजी से विकास हो रहा है, उसमें हम सभी की जिम्मेदारी बन जाती है कि हम मनुष्यता की भावना को सर्वोपरि रखे। कार्यक्रम में विशेष अतिथि संयुक्त निदेशक, सूचना डॉ. नितिन उपाध्याय ने कहा कि जब भी नई तकनीक आती है, तो उसकी अपनी चुनौतियां होती है, साथ ही नये अवसर और नई संभावनाएं भी बनती हैं। चैप्टर के अध्यक्ष रवि बिजारनिया ने सभी का स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन अनिल वर्मा ने किया। इस अवसर पर चैप्टर के सचिव अनिल सती, कोषाध्यक्ष सुरेश चन्द्र भट्ट, सुधाकर भट्ट, वैभव गोयल, राकेश डोभाल, अजय डबराल, प्रशांत रावत, ज्योति नेगी, शिवांगी आदि मौजूद थे।

राजकीय विद्यालयों में 68 हजार छात्र-छात्राओं ने लिया दाखिला

- नामांकन के लिये अधिकारियों एवं शिक्षकों को सौंपी गई है जिम्मेदारी

भास्कर समाचार सेवा

देहरादून। सूबे के विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि प्रदेशभर के राजकीय विद्यालयों में 1 अप्रैल से लेकर सोमवार तक शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिये 68627 छात्र-छात्राओं का नामांकन किया गया, जोकि विद्यालयी शिक्षा विभाग के लिये बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि राजकीय विद्यालयों में अधिक से अधिक छात्र नामांकन के लिये अधिकारियों एवं शिक्षकों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने बताया कि छात्र-छात्राओं का नामांकन कक्षा-1, कक्षा-6 और कक्षा-9 में हुआ है। जिसमें अल्मोड़ा जनपद में 5736, पिथौरागढ़ 4946, बागेश्वर 2708, ऊधमसिंह नगर 2931, नैनीताल 5373, चम्पावत 3273, चमोली 4871, उत्तरकाशी 3949, रूद्रप्रयाग 3725, पौड़ी 5954, देहरादून 11281, हरिद्वार 6817 तथा टिहरी गढ़वाल में 7063 छात्र-छात्राओं का राजकीय विद्यालयों में नामांकन किया गया है। डा. रावत ने बताया कि सरकारी विद्यालयों में छात्र नामांकन को बढ़ाने के लिये आज से प्रवेशोत्सव मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के साथ स्थानीय स्तर पर राजकीय विद्यालयों में नवप्रवेशित बच्चों को दाखिला दिया जा रहा है। उन्हें निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें भी उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि छात्र नामांकन के लिये अधिकारियों एवं शिक्षकों को जिम्मेदारी सौंपी गई है।

सर्वसाधारण को सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि परिषद की आवास योजना किच्छा में स्थित मध्यम आय वर्ग भवन संख्या- ए-353 क्षेत्रफल- 127.50 वर्ग मीटर कार्यालय पत्रांक- 1104 / स0प्र0/किच्छा/दिनांक- 10.01.1989 द्वारा श्री सतीश चन्द्र पुत्र श्री जगदीश शरण के पक्ष में आबंटन किया गया था। आबंटी द्वारा उक्त भवन का विक्रय विलेख परिषद से दिनांक- 19.01.2005 को निष्पादित करा कर उप-निबन्धक कार्यालय किच्छा में दिनांक- 10.03.2005 को पंजीकृत करा लिया गया था। आबंटी द्वारा उक्त भवन का विक्रय श्री गोपाल दास जुनेजा पुत्र श्री जगन्नाथ जुनेजा के पक्ष में कर दिया गया था। श्री गोपाल दास जुनेजा पुत्र श्री जगन्नाथ जुनेजा द्वारा उक्त भवन का नामान्तरण अपने पक्ष में कार्यलय के आदेश संख्या-642 दिनांक-20.05.2005 द्वारा किया गया था। नामान्तरी श्री गोपाल दास जुनेजा पुत्र श्री जगन्नाथ जुनेजा की मृत्युपरान्त उक्त भवन का अन्तरण कार्यालय के आदेश संख्या - 506 दिनांक - 30.04.2011 द्वारा श्रीमती सरोज जुनेजा पत्नी स्व० गोपाल दास जुनेजा के पक्ष में किय गया था।

श्री अजय कुमार जुनेजा व विशाल जुनेजा पुत्रगण स्व० श्री गोपाल दास जुनेजा ने अपने प्रार्थना पत्र के द्वारा सूचित किया है कि उनकी माता श्रीमती सरोज जुनेजा पत्नी स्व0 गोपाल दास जुनेजा की मृत्यु दिनांक - 22.06.2024 को हो गयी है, तथा अपने श्री अजय कुमार जुनेजा व विशाल जुनेजा पुत्रगण स्व० श्री गोपाल दास जुनेजा के पक्ष में उक्त भवन का अन्तरण कराना चाहते है। यदि किसी व्यक्ति को परिषद की आवास योजना, किच्छा में स्थित मध्यम आय वर्ग भवन संख्या-ए-353 का अन्तरण श्री अजय कुमार जुनेजा व विशाल जुनेजा पुत्रगण स्व० श्री गोपाल दास जुनेजा के पक्ष में किये जाने में कोई आपत्ति हो तो इस विज्ञप्ति की तिथि से 30 दिन के अन्दर अपनी आपत्ति विधि साक्ष्यों, प्रमाण पत्रों सहित कार्यालय जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, रूद्रपुर, उधमसिंह नगर, में प्रस्तुत करने का कष्ट करें। उक्त निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त न होने पर परिषद नियमानुसार उक्त भवन का अन्तरण श्री अजय कुमार जुनेजा व विशाल जुनेजा पुत्रगण स्व० श्री गोपाल दास जुनेजा के पक्ष में कर दिया जायेगा तथा बाद में किसी व्यक्ति का किसी प्रकार का कोई भी क्लेम (दावा) परिषद को मान्य नहीं होगा।

(पंकज कुमार उपाध्याय), अपर आवास आयुक्त
उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद, ऊधम सिंह नगर।

उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम

कार्यालय अधिशासी अभियंता, द्वितीय निर्माण शाखा,
कोटद्वार (पौड़ी गढ़वाल)
E-mail: ee2ndcdkot@gmail.com

पत्रांकः 907/निविदा/43 | **निविदा सूचना** | दिनांकः 21.04.2025

एतद्द्वारा अध्यक्ष, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम की ओर से जिला योजना कार्यक्रमांतर्गत निम्न पेयजल योजनाओं में पाईप लाईन एवं तत्संबंधी कार्यो हेतु पाईप लेईंग, "डी" अथवा उच्चतर श्रेणी के उत्तराखण्ड पेयजल निगम में सम्बन्धित कार्यक्षेत्र हेतु पंजीकृत/अनुभवी ठेकेदारों से मोहरबन्द निविदायें दिनांक 07.05.2025 **(किसी कारणवश अवकाश घोषित होने पर अगले कार्यदिवस)** की अपरान्ह 3:00 बजे तक इस कार्यालय में आमन्त्रित की जाती हैं, जो उसी दिन दिनांक 07.05.2025 को उपस्थित ठेकेदारों के समक्ष अपरान्ह 3:30 बजे अधोहस्ताक्षरी अथवा अधोहस्ताक्षरी द्वारा मनोनित अधिकारी द्वारा खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 06.05.2025 की अपरान्ह 5:00 बजे तक इस कार्यालय से क्रय किये जा सकते हैं।

क्र० सं०	कार्यों का विवरण	विकास खण्ड	धरोहर धनराशि	निविदा प्रपत्रों का मूल्य	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	देवलाड में पेयजल टैंक निर्माण कार्य	नैनीडांडा	6000.00	500.00+जी.एस.टी.	02 माह
2	नलाई में पेयजल लाईन कार्य	नैनीडांडा	8000.00	500.00+जी.एस.टी.	02 माह
3	छिटोली तल्ली मोहल्ला धिखिया में पेयजल योजना	नैनीडांडा	20000.00	1000.00+जी.एस.टी.	02 माह
4	खुटिडा तल्ला में पेयजल कार्य	नैनीडांडा	20000.00	1000.00+जी.एस.टी.	02 माह
5	टण्डोली में श्रोत एवं पाईप लाईन कार्य	नैनीडांडा	20000.00	1000.00+जी.एस.टी.	02 माह
6	गोला मल्ला श्रोत एवं पाईप लाईन कार्य	नैनीडांडा	10000.00	500.00+जी.एस.टी.	02 माह
7	बरहात तल्ला श्रोत एवं पाईप लाईन कार्य	नैनीडांडा	10000.00	500.00+जी.एस.टी.	02 माह
8	ग्राम अन्द्रोली के बिछयातोक में पेयजल कार्य	नैनीडांडा	20000.00	1000.00+जी.एस.टी.	02 माह
9	सल्ट महादेव बाजार चुल्सिा में जलाशय निर्माण कार्य	नैनीडांडा	20000.00	1000.00+जी.एस.टी.	02 माह
10	रा०इं०का० शंकरपुर में पानी का टंकी निर्माण कार्य	नैनीडाण्डा	6000.00	500.00+जी.एस.टी.	02 माह
11	दादर–पड़सोली जोन पाईप लाईन एवं तत्संबंधी कार्य	नैनीडाण्डा	18000.00	1000.00+जी.एस.टी.	02 माह
12	द्वारी में पेयजल लाईन मरम्मत कार्य	रिखणीखाल	6000.00	500.00+जी.एस.टी.	02 माह
13	बयेला मल्ला में श्रोत एवं पाईप लाईन कार्य	रिखणीखाल	10000.00	500.00+जी.एस.टी.	02 माह
14	बनगढ़ के खाला तोक अनु० बस्ती पेयजल योजना	रिखणीखाल	20000.00	1000.00+जी.एस.टी.	02 माह
15	जुकरनिया रौला देवपुरा पेयजल निर्माण कार्य	रिखणीखाल	20000.00	1000.00+जी.एस.टी.	02 माह

1. उक्त पेयजल योजनाओं पर धनावंटन होने के उपरान्त ही भुगतान किया जाना सम्भव होगा।
2. शेष नियम एवं शर्ते कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस एवं कार्यालय समय (सुबह 10 बजे से सायं 5 बजे तक) में देखी जा सकती है।

सहायक अभियंता (प्रथम)

"जल संचय–जीवन संचय" "कृपया जल स्रोतो को प्रदूषित होने से बचाईये"
वैधानिक चेतावनी–जल स्रोतो को प्रदूषित करना दण्डनीय अपराध है।

निर्माणाधीन मैकेनाइज्ड ट्रांसफर स्टेशन का निरीक्षण

देहरादून। महापौर एवं नगर आयुक्त द्वारा कारगी स्थित निर्माणाधीन मैकेनाइज्ड ट्रांसफर स्टेशन का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान रासा कंपनी द्वारा ट्रांसफर स्टेशन की कार्यप्रणाली का ट्रायल प्रस्तुत किया गया। महापौर एवं नगर आयुक्त ने कंपनी को निर्देशित किया कि कार्य को गुणवत्तापूर्वक एवं समयबद्ध ढंग से 5 दिवस के भीतर ट्रांसफर स्टेशन को पूर्णरूप से सुचारू किया जाए। इस अवसर पर उप नगर आयुक्त गोपाल राम बेनीवाल, मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अविनाश खन्ना, सहायक नगर आयुक्त राजबीर सिंह चौहान एवं एवं वार्ड पार्षद महिपाल धीमान एवं रमेश गौड़ मौजूद रहे।

सनातन के आदर बिना गंगा का सम्मान कैसेः चमोली

- धर्मपुर विधायक ने पूर्व मुख्यमंत्री की यात्रा पर कसा करारा तंज

भास्कर समाचार सेवा

देहरादून। विधायक विनोद चमोली ने हरदा की गंगा सम्मान यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि सनातन के सम्मान के बिना गंगा सम्मान यात्रा निरर्थक है।

चमोली ने कहा कि समुदाय विशेष की तुष्टिकरण के लिए पूर्व सीएम हरीश रावत कई योजनाओं को अमल मे ला चुके हैं। एक और गंगा का सम्मान और दूसरी ओर हरदा आस्था की प्रतीक गंगा को नाला घोषित कर चुके है। मुस्लिम यूनिवर्सिटी उन्ही की पार्टी नेताओं ने खुलासा किया तो जुम्मे की नमाज की छुट्टी जैसे फैसले तुष्टिकरण की पराकाष्ठा थी। उन्होंने कहा कि हरदा पर कांग्रेस को अपने परिवार की प्लेसमेंट एजेंसी बनाने का आरोप लगाया है। वहीं पलटवार किया कि कांग्रेस झूठ की शिकार हो या नहीं, लेकिन प्रदेश की जनता उनके सफेद झूठ को कभी स्वीकार नहीं करने वाली है। पार्टी मुख्यालय में पत्रकारों द्वारा पूर्व सीएम हरीश रावत के बयानों पर पूछे गए सवालों का ज़बाब देते हुए कहा कि वे कांग्रेस में अपने बच्चों और रिश्तेदारों को स्थापित करने में ही लगे रहते हैं। उनके लिए पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक प्लेसमेंट एजेंसी बन गई है और वहां वे अपने लोगों को ही तव्वजो देते हैं। लिहाजा हरीश रावत की यात्रा अपनी पार्टी को सबल करने की नहीं है बल्कि अपने बच्चों के राजनीतिक भविष्य को बल देने की यात्रा है। उन्होंने कहा कि जो हरीश रावत कहते हैं कि कांग्रेस झूठ का शिकार हो गई है, तो उन्हें बताना चाहिए कि आखिर कौन था वो व्यक्ति जिसका बतौर सीएम स्टिंग हुआ था और किसने कहा था कि मेरी सरकार बचा लीजिए, बदले में मैं आपको पूरी छूट दे दूंगा। उनको न जाने क्यों ऐसा लगता है कि प्रदेश की जनता ये सब भूल गई है।

सर्वसाधारण को सूचना

परिषद् की आवास योजना, रूद्रपुर में स्थित आवासीय भूखण्ड संख्या–84 क्षेत्रफल–296.45 वर्ग मीटर कार्यालय के पत्र संख्या–179/सं.प्र./दिनांक 16.04.1980 द्वारा श्री रामनाथ सेठी पुत्र श्री राम दयाल सेठी के पक्ष में आबंटित किया गया था। आबंटी द्वारा उक्त भूखण्ड का भौतिक कब्जा परिषद से दिनांक–29.03.1984 को प्राप्त किया गया था। आबंटी द्वारा आवश्यक विलेखों के निष्पादनोंपरान्त उक्त भूखण्ड का पट्टा विलेख परिषद से अपने पक्ष में दिनांक–28.03.1984 को निष्पादित करा कर, उप–निबन्धक कार्यालय हल्द्वानी में दिनांक–29.03. 1984 को पंजीकृत करा लिया था, तथा उक्त भूखण्ड का फ्री–होल्ड विलेख परिषद से अपने पक्ष में दिनांक–31.08. 2006 को निष्पादित करा कर, उप–निबन्धक कार्यालय किच्छा में दिनांक–31.08.2006 को पंजीकृत करा लिया था। आबंटी द्वारा उक्त भूखण्ड का विक्रय श्रीमती शशी तिवारी पत्नी श्री अनुग्रह तिवारी के पक्ष में किया गया था। श्रीमती शशी तिवारी पत्नी श्री अनुग्रह तिवारी के पक्ष में उक्त भूखण्ड का नामान्तरण कार्यालय के आदेश संख्या–490 दिनांक–06.06.2009 द्वारा किया गया था।

श्री अनुग्रह तिवारी पुत्र श्री रामजी तिवारी ने अपने प्रार्थना पत्र के द्वारा सूचित किया है कि उनकी पत्नी श्रीमती शशी तिवारी की मृत्यु दिनांक–24.02.2016 को हो गयी है, तथा अपने नाबालिग पुत्र शशांक शेखर त्रिपाठी के पक्ष में उक्त भूखण्ड का अन्तरण कराना चाहते है।

यदि किसी व्यक्ति को परिषद की आवास योजना, रूद्रपुर में स्थित आवासीय भूखण्ड संख्या–84 का अन्तरण नाबालिग शशांक शेखर त्रिपाठी पुत्र श्री अनुग्रह त्रिपाठी के पक्ष में किये जाने में कोई आपत्ति हो तो इस विज्ञप्ति की तिथि से 30 दिन के अन्दर अपनी आपत्ति विधि साक्ष्यों, प्रमाण पत्रों सहित कार्यालय जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, रूद्रपुर, उधमसिंह नगर, में प्रस्तुत करने का कष्ट करें। उक्त निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त न होने पर परिषद नियमानुसार उक्त भूखण्ड का अन्तरण शशांक शेखर त्रिपाठी पुत्र श्री अनुग्रह त्रिपाठी के पक्ष में कर दिया जायेगा तथा बाद में किसी व्यक्ति का किसी प्रकार का कोई भी क्लेम द्धदावाऋ परिषद को मान्य नहीं होगा।

(पंकज कुमार उपाध्याय)
अपर आवास आयुक्त
उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद
ऊधम सिंह नगर।

चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

Chola Enter a better life

कॉर्पोरेट कार्यालयः चोला क्रेस्ट, सुपर बी, सी 54 और सी 55, 4, थिरू का औद्योगिक एस्टेट, गिंडी चेन्नई-600 032, तमिलनाडु

मांग नोटिस

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा ब्याज अधिनियम, 2002 (अधिनियम) और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (नियम) के प्रावधानों के तहत

अधिनियम के तहत चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (सुरक्षित लेनदार) के अधिकृत अधिकारी होने के नाते और अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अधिनियम की धारा 13(12) के तहत नियम 3 जारी मांग नोटिस (एस) के साथ पढ़ा गया, निम्न लिखित उधारकर्ता से उक्त सूचना की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर संबंधित सूचना में उल्लिखित राशि का भुगतान करने का आह्वान । अधीनस्थों का यथोचित विश्वास है कि उधारकर्ता(ओं) मांग नोटिस(सो) की सेवा से बच रहे हैं, इसलिए नोटिस की सेवा नियमों के अनुसार बंधन और प्रकाशन से प्रभावित हो रही है । मांग नोटिस की सामग्री नीचे दी गई है :-

क्र. सं.	उधारकर्ता/ओं और सह-उधारकर्ता/ओं का नाम और पता	ऋण राशि	मांग नोटिस की तिथि और बकाया राशि	संपत्ति/प्रतिभूत आस्ति का विवरण
	ऋण खाता संख्याः- LAP4RUD000118359 **1- श्री/श्रीमती धर्मेंद्र कुमार** **2- श्री/श्रीमती तारावती धर्मेन्द्र कुमार** **दोनों निवासी-** वार्ड नंबर 2, कृष्णा कॉलोनी ट्रांजिट कैंप, रुद्रपुर, रूद्रपुर मेडिकल स्टोर के पास, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड 263153. **इसके अलावाः** निजी प्लॉट नंबर 12, खाता नंबर 02203, वंकंडी नाथ फेज 1, ग्राम फुलसुन्ना, Na, फुलसुन्ना, रुद्रपुर, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड 263153	रु. 22,00,000/-	16.04.2025 रु. 23,15,573/- (तेईस लाख पन्द्रह हजार पांच सौ तिहत्तर रुपये मात्र) 11.04.2025 तक	वाणिज्यिक दुकान के सभी टुकड़े और हिस्सा और 1800 वर्ग फीट का कुल क्षेत्रफल, स्थित खसरा नं. 197, प्राइवेट प्लॉट नं. 12 गांव- फुलसुन्ना, तहसील- रुद्रपुर, जिला- उधम सिंह नगर, उत्तराखंड-263153. टाइटल डीड के अनुसार सीमाएंः- **पूर्वः** सड़क 9.14 मीटर चौड़ी, **पश्चिमः** अशोक सिंह की भूमि, **उत्तरः** निजी प्लॉट नं. 11, **दक्षिणः** निजी प्लॉट नं. 13

उधारकर्ता (ओं) को यह सलाह दी जाती है कि वे इस प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर और इसके ऊपर उल्लिखित मांग राशि का भुगतान करें और भुगतान की प्राप्ति की तारीख तक लागू ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, उछाल शुल्क, लागत और व्यय के साथ । उधारकर्ता यह नोट कर सकते है कि **चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड** एक सुरक्षित लेनदार है और उधारकर्ता द्वारा लिया गया ऋण सुविधा अचल संपत्ति/संपत्ति के खिलाफ एक सुरक्षित ऋण है जो ऋणकर्ता द्वारा गिरवी रखी गई सुरक्षित परिसंपत्ति है । यदि उधारकर्ता निर्धारित समय के भीतर अपनी देनदारियों को पूरा करने में विफल रहते हैं, तो सुरक्षित ऋणदाता अधिनियम की धारा 13(4) के तहत सभी अधिकारों का उपयोग करने का हकदार होगा, जिसमें सुरक्षित परिसंपत्तियों(ओं) का कब्जा लेने के लिए शामिल है, लेकिन बिक्री के माध्यम से या अधिनियम के तहत उपलब्ध किसी अन्य उपाय का उपयोग करके और उसके तहत नियमों के तहत और भुगतान जारी करके उसे हस्तांतरित करने तक सीमित नहीं होगा । सुरक्षित लेनदार को बिक्री या हस्तांतरण के अधिकार को लागू करने से पहले सुरक्षित आस्तियों को संलग्न करने और/या सील करने का भी अधिकार है। सुरक्षित परिसंपत्तियों (एस) की बिक्री के बाद, सुरक्षित लेनदार को बकाया की वसूली के लिए अलग कानूनी कार्यवाही शुरू करने का भी अधिकार है, यदि गिरवी रखी गई संपत्तियों का मूल्य सुरक्षित ऋणदाता को देय बकायों को कवर करने के लिए अपर्याप्त है । यह उपाय किसी अन्य कानून के तहत सुरक्षित लेनदार को उपलब्ध अन्य सभी उपायों के अलावा और स्वतंत्र है ।

ऋणकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13(8) की ओर आकर्षित किया जाता है, उपलब्ध समय के संबंध में, सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए और अधिनियम की धारा 13(13) को आगे ले जाने के लिए, जहां उधारकर्ता(ओं) को सुरक्षित संपत्ति(ओं) का निपटारा करने या उससे निपटने से रोक दिया जाता है या बिक्री, पट्टे या अन्यथा (व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम से भिन्न) के माध्यम से हस्तांतरण किया जाता है, सुरक्षित ऋणदाता की पूर्व लिखित सहमति के बिना और उपरोक्त के साथ अनुपालन न करने के लिए अधिनियम की धारा 29 के तहत दंडनीय अपराध है। मांग नोटिस की प्रति अधोहस्ताक्षरी के साथ उपलब्ध है और यदि उधारकर्ता चाहें तो सामान्य कार्यालय के घंटों के दौरान किसी भी कार्य दिवस पर अधोहस्ताक्षरी से उसे प्राप्त कर सकता है ।

एसडी/-
प्राधिकृत अधिकारी
चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

स्थानः ऊधमसिंह नगर, उत्तराखंड
दिनांकः 16-04-2025

उत्तराखंड में नवचयनित औषधि निरीक्षकों का प्रशिक्षण हुआ प्रारंभ

गुणवत्तायुक्त औषधियों की उपलब्धता पर रहे जोरः डॉ. आर. राजेश

भास्कर समाचार सेवा

देहरादून। उत्तराखंड राज्य में नवचयनित औषधि निरीक्षकों के लिए एफडीए भवन में सोमवार से एक सुदृढ़ एवं व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई।

इस अवसर पर स्वास्थ्य सचिव एवं आयुक्त, खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन डॉ. आर. राजेश कुमार ने प्रशिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा कि यह नियुक्ति केवल एक पद नहीं बल्कि प्रदेश की स्वास्थ्य प्रणाली को सशक्त करने की एक अहम जिम्मेदारी है। डॉ. राजेश कुमार ने निर्देश दिए कि राज्य में हर नागरिक को गुणवत्तायुक्त, मानक स्तर की औषधियां समय पर उपलब्ध हों, यह सुनिश्चित करना औषधि निरीक्षकों की मुख्य प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि औचक निरीक्षण, नियमित नमूना संग्रहण, भंडारण स्थलों की निगरानी और यात्रा मार्गों पर दवा उपलब्धता जैसे बिंदुओं पर विशेष फोकस किया जाए।

प्रशिक्षुओं को संबोधित करते स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार।

उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवा का एक मजबूत आधार यह है कि जनता को भरोसेमंद और प्रभावी औषधियाँ मिलें। निरीक्षकों को अपने कार्यक्षेत्र में ईमानदारी, निष्पक्षता और सजगता के साथ कार्य करना होगा। अपर आयुक्त, खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन, ताजबर सिंह जग्गी ने भी प्रशिक्षण की आवश्यकता और महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह प्रशिक्षण कार्यक्रम केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि एक सशक्त बुनियाद है, जिस पर भविष्य की औषधि निगरानी प्रणाली का निर्माण होगा। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण का उद्देश्य निरीक्षकों को कानूनी, नैतिक, तकनीकी और व्यावहारिक हर पहलू में दक्ष बनाना है।

इससे वे नकली, घटिया और अनुचित दवाओं के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही कर सकें। यह पहल राज्य की स्वास्थ्य प्रणाली को न केवल आधुनिक बनाएगी, बल्कि राज्य को स्वस्थ और सुरक्षित समाज की दिशा में अग्रसर भी करेगी।

आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड

ADITYA BIRLA CAPITAL — PROTECTING INVESTING FINANCING ADVISING

पंजीकृत कार्यालयः इंडियन रेयॉन कंपाउंड, वेरावल, गुजरात–362 266,
कॉर्पोरेट कार्यालयः 12वीं मंजिल, आर टेक पार्क, निरलोन कॉम्प्लेक्स, हब मॉल के पास, गोरेगांव (पूर्व) मुंबई–400 063, महाराष्ट्र।

ई–नीलामी बिक्री नोटिस

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए 30 दिनों की नीलामी बिक्री नोटिस ।

आदित्य बिड़ला फाइनेंस लिमिटेड और आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड के बीच विलय के कारण, दिनांक 11-03-2024 की योजना के तहत नेशनल कंपनी लह ट्रिब्यूनल-अहमदाबाद द्वारा 24-03-2025 को पारित आदेश में विधिवत रिकॉर्ड किया गया था। आदित्य बिड़ला फाइनेंस लिमिटेड द्वारा गिरवी रखी गई संपत्ति के संबंध में शुरू की गई सभी SARFAESI कार्रवाई, समामेलित कंपनी आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड को हस्तांतरित की गई है । जबकि **आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड**/ सुरक्षित लेनदार के अधिकृत अधिकारी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा ब्याज अधिनियम 2002 (SARFAESI) के प्रवर्तन की धारा 13 (2) के तहत जारी नोटिस के लिए निम्नलिखित सुरक्षित परिसंपत्तियों का कब्जा कर लिया है । बकाया के लिए सुरक्षित लेनदार के सुरक्षित ऋणों की वसूली के लिए, जैसा कि नीचे दिए गए शुल्क और निम्नलिखित उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं से लागत के साथ नीचे उल्लेख किया गया है। नोटिस सामान्य रूप से जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं को दिया जाता है कि **आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड** के द्वारा ऋणों की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित संपत्ति की ई नीलामी "जैसा कि कहाँ है", "जैसा कि क्या है" और "जो भी हो" आधार पर आयोजित की जाएगी ।

ई नीलामी की दिनांक और समयः 23.05.2025, सुबह 11:00 बजे से 01:00 बजे के बीच
KYC और बयाना मनी डिपॉजिट (EMD) की प्राप्ति की अंतिम तिथिः 22.05.2025

क्र. सं.	उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं का नाम	संपत्तियों का विवरण/सुरक्षित संपत्ति और कब्जा की तारीख	आरक्षित मूल्य (₹ में)	बयाना मनी डिपॉजिट (ईएमडी) (₹ में) / वृद्धिशील मूल्य (₹ में)	मांग नोटिस तिथि और कुल राशि (₹ में)
1.	1. **श्री अशोक कुमार,** पुत्र श्री गणपत राम 2. **श्रीमती ज्योति तनेजा,** पत्नी अशोक कुमार 3. **श्री मानव तनेजा,** पुत्र श्री अशोक कुमार **ऋण खाता संख्याः-** ABN_RSTS000000753494	पहली मंजिल पर स्थित सभी तीन दुकानें पार्टी संपत्ति का हिस्सा है, संख्या 254, राम नगर रुड़की, हरिद्वार, क्षेत्र 373.728 वर्ग फुट है, छत अधिकार के साथ । जो निम्न रूप में परिबद्ध और ढकी हुई हैः- **पूर्वः** 12 फुट चौड़ी सड़क, माप 13 फिट 6 इंच, **पश्चिमः** मोना लखानी की दुकान, माप 13 फीट 6 इंच, **उत्तरः** भूतल पर 16 फीट चौड़ी सड़क, माप 27.48 फीट, **दक्षिणः** श्री ओम प्रकाश सेठ की संपत्ति, माप 27.48 फीट ।	₹ 55,00,000/- (पचपन लाख रुपये मात्र)	₹ 5,50,000/- (पांच लाख पचास हजार रुपये मात्र) ₹ 25,000/- (पच्चीस हजार रूपये मात्र)	15.06.2024 एवं ₹ 55,81,507/- (पचपन लाख इक्यासी हजार पांच सौ सात रुपये मात्र) 07.06.2024 तक, देय

बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तों के लिए, कृपया आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड/सुरक्षित लेनदार की वेबसाइट में दिए गए लिंक को देखें यानी https://abfl.adityabirlacapital. com/Pages/Individual/Properties-for-Auction-under-SARFAESI-Act.aspx or https://BidDeal.in

संपर्क **Nos:** आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड, अधिकृत अधिकारी - 1) श्री अपूर्वा थॉमस दांथी - apoorva.danthi@adityabirlacapital.com मोबाइल नंबर 9930909725, आप निकटतम शाखा पर भी जा सकते हैं या आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड से संपर्क कर सकते हैं 2) श्री जाहिरुल लास्करः (Jahirul.Laskar@adityabirlacapital.com) मोबाइल नंबर 91 97060 03075, 3) परनीत सिंह : (parneet.singh@adityabirla capital.com) मोबाइल नंबर 91 97200 29337, 4) वेद प्रकाश मिश्रा - (vedprakash.mishra@adityabirlacapital.com) मोबाइल नंबर 91 90040 26790.

स्थान : हरिद्वार, उत्तराखंड
दिनांक : 20.04.2025

हस्ता/-
प्राधिकृत अधिकारी, आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड